

## भारतीय वदियुत क्षेत्र: चुनौतियाँ और समधान

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में देश में वदियुत वितरण प्रणाली की चुनौतियों और उनके समाधान से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

### संदर्भ:

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये लगभग सभी क्षेत्रों में कई छोटे-बड़े सुधारों की आवश्यकता होगी। इनमें से एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वदियुत का भी है जिसमें पछिले कुछ समय से सुधारों के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में COVID-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभावों और इसकी अनिश्चितता से जुझ रही अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने में एक मज़बूत तथा प्रभावशाली वदियुत क्षेत्र की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों (उद्योग, कृषि, सेवा आदि) को सुचारू रूप से कार्य करने के लिये वदियुत की नरिबाध आपूर्ति तथा इसकी लागत का वहनीय होना बहुत ही आवश्यक है। हाल के वर्षों में देश में वदियुत क्षेत्र (विशेषकर वितरण) की चुनौतियों काफ़ी वृद्धि देखी गई है, ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये नरिबाध वदियुत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वदियुत क्षेत्र में बड़े बदलावों की आवश्यकता होगी।

### वदियुत क्षेत्र की चुनौतियाँ:


- भारत में पछिले दो दशकों में वदियुत उत्पादन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है, इसके परिणाम स्वरूप देश में ऊर्जा उत्पादन के संकट को भी दूर कर लिया गया है।
- वदियुत क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती उत्पादन में न होकर इसके वितरण से संबंधित है वदियुत के उत्पादन और वितरण के बीच यह असंतुलन इस क्षेत्र के लिये एक चुनौती बनकर उभरा है।
- वदियुत वितरण कंपनियाँ भारत के वदियुत क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है तथा कई मौकों पर सरकार द्वारा राज्य वदियुत वितरण कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिये अतिरिक्त धन उपलब्ध कराना पड़ा है जो इसका एक स्थायी और दूरगामी समाधान नहीं हो सकता।
  - गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 61,000 करोड़ रुपए के वार्षिक घाटे के साथ डिस्कोम का कुल ऋण 3.84 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया था।

### वदियुत वितरण कंपनियों के घाटे का कारण:

- वदियुत वितरण कंपनियों या डिस्कोम (DISCOM) द्वारा राजस्व संग्रह में कमी, वदियुत उत्पादक कंपनियों से उच्च लागत पर बजिली की खरीद और वदियुत टैरिफ में अपर्याप्त वृद्धि डिस्कोम के घाटे का सबसे बड़ा कारण है।
- साथ ही सरकारी विभागों द्वारा लंबे समय तक बिल का भुगतान न किया जाना भी डिस्कोम के राजस्व घाटे को बढ़ाता है।
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जारी के आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019 में वदियुत वितरण कंपनियों का कुल तकनीकी और वाणजिय नुकसान [Aggregate Technical & Commercial (ATC) loss] 22% रहा।
  - इसके तहत तकनीकी कारणों से होने वाले क्षति, बजिली की चोरी, अपर्याप्त बलिंग, भुगतान डिफॉल्ट, राजस्व संग्रह की अक्षमता आदि शामिल हैं।
- प्लांट लोड फैक्टर (Plant Load Factor):** प्लांट लोड फैक्टर से आशय किसी दिये गए समय में एक वदियुत ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा और उसकी कुल उत्पादन क्षमता के अनुपात से है। डिस्कोम द्वारा वितरण की चुनौतियों के कारण वदियुत उत्पादन कंपनियों के उत्पादन सीमांति करना पड़ता है जिससे उनके राजस्व में भी गिरावट होती है।
- भारत में आधी से अधिक (लगभग 53.4%) कोल आधारित वदियुत ऊर्जा संयंत्रों से आती है ऐसे में अन्य देशों से आयात होने वाले कोयले की लागत में वृद्धि का प्रभाव वदियुत के मूल्य पर भी पड़ता है।

### सुधार के प्रयास:

- सरकार द्वारा पछिले काफी समय से वदियुत क्षेत्र में सुधार लाने के प्रयास कयि गए है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में 'वदियुत अधनियिम, 2003' लागू कयि गया था।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमकता देने के साथ, वदियुत क्षेत्र में प्रतस्पर्द्धा और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना था।
- इस अधनियिम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के वदियुतीकरण, लाइसेंस मुक्त उत्पादन और वतिरण, मीटर की अनविरयता, वदियुत चोरी पर कठोर दंड का प्रावधान और डसिकॉम के नजिकरण की बात कही गई थी।
- सरकार द्वारा प्रस्तुत वदियुत वतिरण सुधार योजना के तहत वदियुत घाटे को 12% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है साथ ही इसके तहत नरिबाध वदियुत आपूर्तिके साथ टैरिफ से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने की बात कही गई है।
- सरकार द्वारा वर्ष 2015 में **उदय योजना** के माध्यम से डसिकॉम के वतितीय तथा परचालन क्षमता में सुधार लाने का प्रयास कयि गया।
- मई, 2020 में केंद्र सरकार द्वारा वदियुत वतिरण कंपनियों के लयि 90,000 करोड़ रुपए की वतितीय सहायता की घोषणा की गई थी
- हालाँकि इन सुधारों के बावजूद भी वदियुत क्षेत्र में वतितीय चुनौती की समस्याएँ अभी भी बनी हुई है।



//

## वदियुत क्षेत्र में सुधारों की वफिलता का कारण:

- वदियुत अधनियिम 2003 के तहत वदियुत क्षेत्र में प्रतस्पर्द्धा को बढ़ाने पर वशिष बल दयिा गया था, इसके तहत बड़े वदियुत उपभोक्ताओं (1000kW से अधिक की खपत) को ओपन एक्सेस के माध्यम से अपनी पसंद के आपूर्तकिरत्ता से वदियुत प्रापत करने की छूट दी गई थी।
- हालाँकि इस योजना के लागू होने के लगभग 16 वर्षों बाद भी ओपन एक्सेस के तहत वदियुत सेवाओं से जुड़े उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 1% से भी कम है, इसका प्रमुख कारण टैरिफ से जुड़ी बाधाएँ, आपूर्तकिरत्ता बदलने के लयि अनुमति मिलने में देरी आर्दा हैं।
- सरकार द्वारा वदियुत वतिरण कंपनियों को सब्सडि के भुगतान में वलिंब या अपर्यापत सब्सडि का भुगतान वतितीय चुनौती को बढ़ा देता है।
- COVID-19 महामारी के कारण औद्योगिक गतविधियों के बंद होने से वदियुत खपत में भारी गरिावट [मार्च (-8.7%), अप्रैल (-23.2%), मई (-14.9%) और जून (-10.9%)] देखने को मलिी।**
  - गौरतलब है कृषि सहति कुछ अन्य क्षेत्रों के लयि दी जाने वाली सब्सडि का एक बड़ा हसिा औद्योगिक क्षेत्र (क्रॉस सब्सडि के रूप में) से प्रापत होता है।
- वर्ष 2003 के बाद से सरकार द्वारा कयि गए कई प्रयासों के बावजूद भी वर्तमान में देश में मात्र 10 उपभोक्ताओं को ही नजि क्षेत्र द्वारा वदियुत आपूर्तकी जाती है, इसमें से अधकिांश शहरी क्षेत्रों तक ही सीमति हैं।
- वतिरण कंपनियों को बजिली के मूल्य के नरिधारण की छूट नहीं है जसिसे उनके घाटे में लगातार वृद्धि हुई है।
- सरकार के प्रयासों के बावजूद भी अधकिांश डसिकॉम अपने 'आपूर्तकी औसत प्रतथ्युनटि लागत' (ACS) और 'औसत राजस्व की प्रापति' (ARR) के अंतर को कम करने में सफल नहीं रही हैं।



## समाधान:

- **डिस्कॉम के हितों की रक्षा:** नियामकों द्वारा वदियुत टैरिफि के निर्धारण के समय उपभोक्ताओं के साथ-साथ डिस्कॉम के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। वदियुत अधिनियम के तहत बजिली आपूर्ति के दौरान हुई कर्षता की वसूली का प्रावधान कथिा गया है परंतु वास्तविकता में डिस्कॉम के लयि यह संभव नहीं हो पाता है। नियामकों को वदियुत शुल्क की एक अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए डिस्कॉम को टैरिफि के संदर्भ में आवश्यक छूट देने पर वचिार करना चाहिये। अत्यधिक ATC नुकसान वाले राज्यों जैसे-मध्य प्रदेश (36%), उत्तर प्रदेश (33%) और बहिर (31%) आदि में इस समस्या को शीघ्र ही दूर कथिा जाना बहुत ही आवश्यक है।
- **तकनीकी अक्षमता को दूर करना:** तकनीकी अक्षमताओं के कारण होने वाले ऊर्जा क्षय पर वशिष ध्यान देने की आवश्यकता है। तारों और वदियुत आपूर्ति के उपकरणों में वदियुत आपूर्ति के दौरान परतरीध के कारण थोड़ी-बहुत ऊर्जा का क्षय होना स्वाभाविक है परंतु पुराने और खराब तारों से यह समस्या अधिक बढ़ जाती है। सरकार द्वारा पुरानी हो रही वतिरण प्रणाली के नवीनीकरण पर भी ध्यान दथिा जाना चाहिये।
- **सब्सडी में सुधार:** सरकार को सब्सडी के भुगतान में अनावश्यक देरी के साथ सरकार को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं (जैसे-कसिान आदि) को वदियुत सब्सडी उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिये।
- **वदियुत चोरी:** बजिली की चोरी भी डिस्कॉम के राजस्व में गरिवट का एक बड़ा कारण है। लोगों द्वारा मीटर से छेड़छाड़ या अधिकारियों को रशिवत देने के प्रयास और स्मार्ट मीटर लगाने का वरीध कर वास्तविक वदियुत बलि के भुगतान से बचने का प्रयास कथिा जाता है। वदियुत चोरी के मामलों में कठोर कार्रवाई के साथ **स्मार्ट मीटर** को अनवार्य बना कर डिस्कॉम के घाटे को कम कथिा जा सकता है। साथ ही उपभोक्ताओं को ऐसे अनैतिक माध्यमों को अपनाने से रोकने हेतु उन्हें जागरूक कथिा जाना चाहिये।
- **प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा:** सरकार को इस क्षेत्र में नजिी कंपनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए प्रतस्पर्द्धा को बढ़ाने पर वशिष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही अनावश्यक कटौती करने पर वदियुत आपूर्ति कंपनियों पर जुर्माने लागू कर इस क्षेत्र में फ़ैली अनयिमतिता को दूर करने का प्रयास कथिा जाना चाहिये।
- भारत में सक्रयि अधिकांश वदियुत वतिरण कंपनियें एक बड़े क्षेत्र को अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं जसिसे उनकी सेवा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे में वतिरण कंपनियों के कार्यक्षेत्र को सीमित कथिा जाना बहुत ही आवश्यक है जसिसे उपभोक्ताओं और डिस्कॉम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके और उनकी सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
- वदियुत उत्पादक कंपनियों के घाटे को कम करने के लयि उन्हें सीधे नजिी क्षेत्र को वदियुत विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये, साथ ही अधशिष वदियुत की खपत के लयि सीमावर्ती देशों में वदियुत आपूर्ति के लयि अवसंरचना प्रणाली को मज़बूत कथिा जाना चाहिये।
- वर्ष 1991 में डीलाइसेंसिंग और वर्ष 2003 के सुधारों के पश्चात वदियुत उत्पादन के क्षेत्र में बनिा कसिी बड़ी नजिीकरण पहल के ही नजिी कंपनियों (लगभग 47.1%) की भागीदारी के तहत देश में वदियुत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है, वदियुत वतिरण के क्षेत्र में भी इसी प्रकार बदलाव लाकर इसकी चुनौतियों को कम कथिा जा सकता है।

## नषिकर्ष:

कसिी भी देश की अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लयि ऊर्जा की नरिबाध आपूर्ति को सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक है। पछिले तीन दशकों में भारत ने वदियुत उत्पादन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, परंतु वदियुत वतिरण कंपनियों को तकनीकी चुनौतियों के साथ बजिली की चोरी, अपर्याप्त बलिगि, भुगतान डफ़ॉल्ट, राजस्व संग्रह की अक्षमता आदि के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा डिस्कॉम की समस्याओं को दूर करने के लयि कथिा गए प्रयासों के बावजूद भी कुछ राज्यों में इनकी समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं। डिस्कॉम कंपनियों की वत्तीय चुनौतियों को दूर करने, इस क्षेत्र में प्रतस्पर्द्धा और नजिी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने आदि के लयि केंद्र और राज्य सरकारों को मलिकर आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

**अभ्यास प्रश्न:** पछिले कुछ वर्षों से भारतीय वदियुत क्षेत्र सरकार पर अतरिकित आर्थिक भार का कारण बना हुआ है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए भारतीय वदियुत क्षेत्र की चुनौतियों के प्रमुख कारण और उनके समाधान के विकल्पों पर चर्चा कीजयि।